राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–**pr.rajbhavan@gmail.com**
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राजभवन में महाविद्यालय–निरीक्षकों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई

पटना, 26 अक्टूबर 2018

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन ने सम्बद्धता–प्राप्त महाविद्यालयों की भौतिक जाँच कराने का निदेश अपने प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह को दिया है। श्री टंडन ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि राज्य सरकार से सम्बद्धता–प्राप्ति की प्रत्याशा में नये महाविद्यालय अपने यहाँ विद्यार्थियों का गलत ढंग से नामांकन कर ले रहे हैं तथा उन नामांकित छात्रों को परीक्षा में भी सम्मिलित कराने का दबाव विश्वविद्यालय–प्रशासन पर बनाते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार से सम्बद्धता–प्राप्ति की प्रत्याशा में कोई भी महाविद्यालय नामांकन नहीं ले –ऐसा हर हालत में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। –इस बात की जानकारी राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने राज्य के विश्वविद्यालयों में तैनात सभी महाविद्यालय–निरीक्षकों को सम्बोधित करते हुए दी। श्री सिंह महाविद्यालय–निरीक्षकों को दिए गये निदेशों की अनुपालन–स्थिति की आज समीक्षा कर रहे थे।

राजभवन सभागार में आज आयोजित महाविद्यालय–निरीक्षकों की समीक्षा–बैठक को सम्बोधितत करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री सिंह ने कहा कि कुलाधिपति महोदय के निदेशानुरूप यह चिह्नित किया जाना है कि किस अधिकारी या कर्मचारी की त्रुटि या लापरवाही की वजह से राज्य सरकार द्वारा किस महाविद्यालय की सम्बद्धता का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है। प्रधान सचिव ने कहा कि जब अधिनियमों/परिनियमों में महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु निर्धारित मानदंड स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, तब किस परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए –यह बात सामने आनी चाहिए। प्रधान सचिव ने बताया कि महामहिम ने कहा है कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय–प्रशासन के जिस किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से छात्रों का भविष्य दाँव पर लगेगा; उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रधान सचिव ने महाविद्यालय निरीक्षकों से कहा है कि सभी सम्बद्धता–प्राप्त महाविद्यालयों की भी नियमित तौर पर भौतिक जाँच की जानी चाहिए। निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करनेवाले सम्बद्धता–प्राप्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता–समाप्ति के लिए भी कुलपति के माध्यम से प्रतिवेदित करने हेतु महाविद्यालय–निरीक्षकों को आज की बैठक में निदेशित किया गया। आज की बैठक में सभी महाविद्यालय–निरीक्षकों से यह भी कहा गया कि वे अपने विश्वविद्यालय के अधीन संचालित सभी सम्बद्धता–प्राप्त महाविद्यालयों की सूची अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइटों पर अविलम्ब प्रकाशित करा दें।

आगे पृष्ठ...2 पर

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि महाविद्यालयों को बी॰एड॰ कॉलेजों का भी नियमित तौर पर निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'बी॰एड॰ पोस्ट एप्स' के माध्यम से कॉलेजों द्वारा अपलोड किए गए जो फोटोग्राफ्स प्राप्त हो रहे हैं, वे अत्यन्त असंतोषजनक एवं त्रुटिपूर्ण होते हैं। प्रधान सचिव ने ऐसे बी॰एड॰ कॉलेजों का भौतिक–निरीक्षण कर शीघ्र प्रतिवेदित करने को कहा।

प्रधान सचिव श्री सिंह ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि एक ही भवन में एक से अधिक कॉलेज/शिक्षण–संस्थान संचालित हो रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि ऐसे महाविद्यालय की व्यापक जाँच कर शीघ्र प्रतिवेदित किया जाना चाहिए। इसी तरह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों –खासकर बी॰बी॰ए॰/एम॰बी॰ए॰/बी॰सी॰ए॰/एम॰सी॰ए॰ आदि के संचालन में भी अनियमितता की कतिपय शिकायतें मिल रही हैं। प्रधान सचिव ने कहा कि राज्यपाल–सह–कुलाधिपति ने बिना स्वीकृति के ऐसे अनियमित रूप से संचालित होनेवाले पाठ्यक्रमों पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगाने को कहा है।

प्रधान सचिव ने कहा कि महाविद्यालय–निरीक्षकों को महाविद्यालयों के निरीक्षण का जो दायित्व प्रदान किया गया है, उसका तत्परतापूर्वक परिपालन नहीं होने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

आज की समीक्षा–बैठक में अपर सचिव श्री विजय कुमार एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (विश्वविद्यालय) श्री अहमद महमूद भी उपस्थित थे।

.....